उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 12.04.2019 का कार्यवृत्त

प्रो0 नरेन्द्र एस0 चौधरी, कुलपति , उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की अध्यक्षता में 16वीं वित्त समिति की बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष मे दिनांक 12.04.2019 दिन शुक्रवार समय 12 बजे से आयोजित/सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

क्र0स0	नाम	पदनाम
01	प्रो0नरेन्द्र एस0 चौधरी, कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री जी0एस0बिष्ट, उप–सचिव, सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि।	सदस्य
04	डॉ0रमन सी0सूरी, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य एवं मुख्य वैज्ञानिक आई0एम0टी0ई0सी0एच, चण्ढीगढ़।	सदस्य
05	श्री सुबोध शर्मा, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य (बी0 5–6–4057, वसंत कुंज नई दिल्ली)	सदस्य
06	श्री जयपाल सिंह तोमर, वित्त नियत्रंक उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	संयोजक/सदस्य
07	डॉ0अनिता रावत, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सदस्योंगणों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ की गई । वित्त समिति के सदस्यों द्वारा उक्त बैठक का एजेण्डा समय पर उपलब्ध न होने पर अपेक्षा गयी कि भविष्य में बैठक से एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा वित्त समिति के सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय। तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा एजण्डा बिन्दु 01 पर विगत 15वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुये एजेण्डा बिन्दुवार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1-5

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय
देहरादून

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य
बिन्दु–02	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष **2019–20** का आय–व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ **वित्तीय वर्ष 2019–20 का आय–व्यय अनुमान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत** **उ0त0वि0 की अनु0 आय : 40.45 करोड़** **उ0त0वि0 का अनु0व्यय : 44.37 करोड़** **– 03.92 करोड़**	वित्त समिति द्वारा 2019–20 में अनुमानित आय के सापेक्ष आधिक्य व्यय के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी । इस क्रम में वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास मदों में यू0टी0यू0 / शासकीय निधि से संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु शेष यू0टी0यू0 अंश की धनराशि का भुगतान 2019–20 में किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 3.92 लाख का आधिक्य व्यय है जिसकी प्रतिपूर्ति विगत वर्षो से संचित सावधी जमा से की जायेगा। तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुमानित आय–व्यय पर विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु–03	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष **2018–19** का वास्तविक आय–व्ययक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ– **उ0त0वि0 की वास्तविक आय : 25.32 करोड़** **उ0त0वि0 का वास्तविक व्यय : 14.26 करोड़**	वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के वास्तविक आय–व्यय पर चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया
बिन्दु–04	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष **2017–18** का वास्तविक आय–व्यय प्रस्ताव अनुमोदनार्थ– **उ0त0वि0 की वास्तविक आय : 27.67 करोड़** **उ0त0वि0 का वास्तविक व्यय : 14.68 करोड़**	इस क्रम में वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुमानित आय के सापेक्ष वास्तविक आय में पायी गयी कमी के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक से जानकारी चाही गयी । वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में भवन निर्माण हेतु अनुमानित आय के सापेक्ष शासकीय ग्रांट प्राप्त न होने एवं अनुमान के सापेक्ष नये छात्र प्रवेशित न हो पाने के कारण वश अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आय की प्राप्ति नही हो पायी तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के वास्तविक आय–व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–05	विश्वविद्यालय कार्यहित में संविदा / आउटर्सोस के रूप से एक विधिक सलाहकार कि नियुक्ति **₹** 30,000.00 से **₹**	वित्त समिति द्वारा सर्वप्रथम विधिक सलाहकार की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस क्रम में मा0कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के लगभग 05 वाद मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं लगभग 300 वाद मा0

2-5

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय
देहरादून

	60000.00 का मासिक नियत मानदेय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	उच्च न्यायालय में विभिन्न सम्बन्ध में न्योजित है। उक्त के सम्बन्ध में प्रतिदिन ही विधिक सलाहकार की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस प्रयोजन हेतु एक विधिक सलाहकार की नियुक्त किये जाने की नितांत आवश्यकता है जिस क्रम में वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर (पार्टटाईम/आउटसोर्स) के माध्यम से 11– 11 माह की अवधी हेतु नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही नियुक्ति के समय विस्तृत सेवा शर्तो का उल्लेख किया जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
बिन्दु–06	मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एम0टैक एवं एम0फार्मा0 में कार्यरत्त शिक्षकों को अनुबन्ध नवीनीकरण न कर एक दिन का सेवा विराम देते हुए पुरानी संविदा शर्तो के अनुसार माह जनवरी,2019 तक वेतन/मानदेय का भुगतान कर दिया गया है एवं माह फरवरी, 2019 से एम0टैक एवं एम0फार्मा0 के शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या एफ025–1/2018 PS/MISC) दिनांक 28.01.2019 द्वारा निर्धारित मानदेय रू0 1500 प्रति लैक्चर तथा माह में अधिकतम रू0 50000.00 प्रतिमाह का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।	इस सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा एम0टैक एवं एम0फार्मा0 में कार्यरत्त शिक्षकों को अनुबन्ध नवीनीकरण न कर एक दिन का सेवा विराम देते हुए पुरानी संविदा शर्तो के अनुसार माह जनवरी,2019 तक वेतन/मानदेय का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही कार्यहित में माह फरवरी, 2019 से एम0टैक एवं एम0फार्मा0 के शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या एफ025–1/2018 PS/MISC) दिनांक 28.01.2019 द्वारा निर्धारित मानदेय रू0 1500 प्रति लैक्चर तथा माह में अधिकतम रू0 50000.00 प्रतिमाह का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–07	यू0टी0यू0 से सम्बद्ध संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों LLB/B.A.LLB/BBALLB/B./COM LLB/LLB के शिक्षण शुल्क पर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–08	यू0टी0यू0 से सम्बद्ध संस्थानों के शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के सदस्यों एवं सम्बद्ध संस्थानों के औचक निरीक्षण/ प्राप्त शिकायतों एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार गठित समिति के सदस्यों को ₹ 3000 प्रतिदिन की दर से मानदेय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3-5

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय